



Neutral Citation No-2026:AHC:8229

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4949 वर्ष 2025

ओम प्रकाश याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: योगेश कुमार सक्सेना

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहतों के साथ: -

"ए. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिपक्षी अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों में आदेशों का समर्थन करने का निर्देश दिया जाए।

बी- परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिपक्षी संख्या-5 को परवाना जारी करने और तदनुसार राजस्व अभिलेखों को सही करने का निर्देश दिया जाए।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश और चकबंदी अधिकारी, इटावा द्वारा पारित दिनांक 13.06.2016 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए एक आवेदन दायर किया है। उपरोक्त आवेदन पर रिपोर्ट मांगी गई है। लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.01.2025 को प्रस्तुत की है; हालांकि, तब से आवेदन चकबंदी अधिकारी, इटावा, प्रतिपक्षी संख्या-5 के समक्ष विचाराधीन है।



4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि प्रस्तुत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए एक निर्देश जारी किया जाता है, जो अभी भी इस न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित अवधि के भीतर चकबंदी अधिकारी, इटावा, प्रतिपक्षी संख्या-5 के समक्ष विचारार्थ लंबित है।

5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी (प्रतिपक्षी संख्या-5) को निर्देश देकर, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटान करना उचित समझता है, जिसके समक्ष चकबंदी निपटान अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 27.02.2019 के आदेश और चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 13.06.2013 के आदेश के कार्यान्वयन पर विचार लंबित है, ताकि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार त्वरित रूप से निर्णय लिया जाए।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 13, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)